राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15277/2023

1. सुख राम डिडेल पुत्र श्री हरि राम, जिनकी आयु लगभग 58 वर्ष है, घर संख्या 4, द्वारका कॉलोनी, बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के निवासी हैं।

2. तुलसी राम पुत्र बसंती लाल, आयु लगभग 60 वर्ष , घर संख्या 3, द्वारका कॉलोनी, निवासी बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

3. श्रीमती शारदा पत्नी श्री बाबू लाल, आयु लगभग 52 वर्ष, घर संख्या 4, द्वारका कॉलोनी, निवासी बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

4. बाबू लाल पुत्र कन्हैया लाल, आयु लगभग 62 वर्ष, घर संख्या 1, द्वारका कॉलोनी, निवासी बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर----याचिकाकर्ता।

बनाम

1. नरपत सिंह पुत्र स्वर्गीय भंवर सिंह परमार, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी खेड़ा, माता जी का चौक, बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

2. मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय भंवर सिंह परमार, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी खेड़ा, माता जी का चौक, बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

3. अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर, सचिव, यू. आई. टी., उदयपुर के माध्यम से।

सम्बद्ध मामले

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15268/2023

1. सुख राम डिडेल पुत्र श्री हरि राम, जिनकी आयु लगभग 58 वर्ष है, घर संख्या 4, द्वारका कॉलोनी, बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के निवासी हैं।

2. तुलसी राम पुत्र बसंती लाल, आयु लगभग 60 वर्ष , घर संख्या 3, द्वारका कॉलोनी, निवासी बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

3. श्रीमती शारदा पत्नी श्री बाबू लाल, आयु लगभग 52 वर्ष, घर संख्या 4, द्वारका कॉलोनी, निवासी बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

4. बाबू लाल पुत्र कन्हैया लाल, आयु लगभग 62 वर्ष, घर संख्या 1, द्वारका कॉलोनी, निवासी बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर---- याचिकाकर्ता।

बनाम

1. नरपत सिंह पुत्र स्वर्गीय भंवर सिंह परमार, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी खेड़ा, माता जी का चौक, बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

2. मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय भंवर सिंह परमार, आयु लगभग 59 वर्ष, निवासी खेड़ा, माता जी का चौक, बडगांव, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर।

3. अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर, सचिव, यू. आई. टी., उदयपुर के माध्यम से।

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए:- श्री जी.आर. पुनिया सीनियर एडवोकेट, साथ श्री राजेंद्र प्रसाद और डॉ.शांति चौधरी।

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विजय पुरोहित,श्री खेत सिंह राजपुरोहित।

माननीय जस्टिस श्री विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट योग्य

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15277/2023:-

1. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका विद्वान सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), उदयपुर शहर, उदयपुर द्वारा पारित दिनांक 12.09.2023 आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

3. संक्षेप में मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास बडगांव गाँव में 0.1900 हेक्टेयर जमीन है। उक्त भूमि आवासीय पट्टा विलेख (पट्टा) जारी करने के उद्देश्य से अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर को सौंप दी गई थी। यू. आई. टी., उदयपुर द्वारा पट्टा जारी किया गया था, भूखंडों को मंजूरी दी गई थी और याचिकाकर्ताओं ने उसमें अपने घरों का निर्माण किया था। इसके साथ ही, यू. आई. टी. ने 30 फीट चौड़ी सड़क को भी मंजूरी दी, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा 15 फीट भूमि को सौंप दिया गया था। स्वीकृत सड़क का कथित रूप से निजी प्रतिवादियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था और इसलिए, यू. आई. टी. ने उन्हें उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 (इसके बाद '1959 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 92-ए के तहत नोटिस जारी किया। उत्तरदाताओं ने कारण दर्शाओ नोटिस पर अपना जवाब दाखिल किया और अंततः उन कार्यवाही का निर्णय अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उदयपुर द्वारा अपने दिनांक 16.05.2023 के आदेश के माध्यम से किया गया। निजी उत्तरदाताओं

को ऊपर बताए अनुसार सड़क से अपने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। दिनांकित 16.05.2023 आदेश के खिलाफ, निजी उत्तरदाताओं ने सिविल जज (दक्षिण), उदयपुर के समक्ष एक मुकदमा दायर किया। लंबित मुकदमे में, याचिकाकर्ताओं ने आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत उन्हें पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के लिए एक आवेदन दायर किया, हालांकि, उक्त आवेदन को दिनांक 12.09.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा सड़क के निर्माण के लिए यू. आई. टी. को सौंपी गई भूमि का कथित रूप से निजी उत्तरदाताओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है और इसलिए, आधिकारिक उत्तरदाताओं यानी यू. आई. टी. ने अतिक्रमण हटाने के लिए निजी उत्तरदाताओं के खिलाफ उचित रूप से कार्यवाही शुरू की है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी यू. आई. टी., 1959 के अधिनियम के तहत निहित प्रक्रिया को शुरू करने के बाद, सही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निजी उत्तरदाताओं ने भूमि पर अतिक्रमण किया है और इस प्रकार इसे हटाने की आवश्यकता है।

5. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यू. आई. टी. द्वारा 16.05.2023 पर इस प्रकार पारित आदेश के खिलाफ, निजी उत्तरदाताओं ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया है, लेकिन इसे विद्वान निचली अदालत द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा किए गए पारिस्थितिक संपर्कों को हटाने के लिए कार्रवाई याचिकाकर्ताओं द्वारा आत्मसमर्पण की गई भूमि पर यू. आई. टी. द्वारा 1959 के अधिनियम की धारा 92-ए का सहारा लेकर शुरू

की गई थी। वह आगे प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ताओं को दीवानी मुकदमे के किसी भी निर्णय के प्रत्यक्ष नागरिक और बुरे परिणाम हो रहे हैं और यदि उन्हें विद्वत निचली अदालत के समक्ष पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल करके मामले में नहीं सुना जाता है, तो उनके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि 12.09.2023 दिनांकित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत उन्हें पक्षकार उत्तरदाताओं के रूप में शामिल करने के लिए इस तरह से पसंद किए गए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है।

6. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन श्री पुरोहित द्वारा किया जाता है जो प्रतिवादी यू. आई. टी. की ओर से पेश हो रहे हैं।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता मामले में एकमात्र शिकायतकर्ता हैं और इसलिए, उन्हें विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार प्रतिवादी के रूप में आरोपित होने का कोई अधिकार नहीं है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उन्हीं आधारों पर एक अलग मुकदमा भी दायर किया है जो विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार उत्तरदाताओं के रूप में पेश करने के लिए आवेदन में उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत उनके आवेदन को खारिज करते हुए स्वतंत्रता दी गई थी। उनकी दलीलों के समर्थन में, निजी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने किशन शर्मा और एक अन्य बनाम ग्राम पंचायत, निवारू, 2012 3 सिविल सी.सी. 670, हरि सिंह और अन्र बनाम राजू सिंह और अन्य, 2014 26 RCR (Civ) 345, सुधामयी पटनायक और

अन्य बनाम बिभू प्रसाद साहू और अन्य, 2022 0 AIR (SC) 4304 और टीकम सिंह बनाम रमेश 2017 3 सिविल CC 831 में दिए गए फैसलों पर भरोसा किया है। इसलिए, वह प्रार्थना करता है कि रिट याचिका खारिज की जाए।

8. मैंने बार में की गई दलीलों पर विचार किया है और मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को देखा है, जिसमें विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 12.09.2023 का आदेश भी शामिल है।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए तथ्यात्मक कथनों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं की जो भूमि थी, उसे उन्होंने प्रासंगिक समय पर प्रचलित नियमों के प्रावधानों के अनुसार यू. आई. टी. को सौंप दिया था और यू. आई. टी. द्वारा भी सहारा लिया गया है, जिसके तहत 30 फीट चौड़ी सड़क प्रदान की गई है, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा सौंपी गई भूमि से 15 फीट चौड़ी सड़क शामिल है। प्रत्यर्थी यू. आई. टी. के सक्षम अधिकारियों ने 1959 के अधिनियम की धारा 92-ए के अनुसार अभ्यास करने के बाद माना है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 अतिक्रमणकारी हैं और इसलिए, अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिनांक 16.05.2023 के आदेश द्वारा दिया गया था। निजी उत्तरदाताओं ने एक दीवानी मुकदमा दायर करके दिनांकित 16.05.2023 आदेश की वैधता पर हमला किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा एक आवेदन को पक्षकार उत्तरदाताओं के रूप में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी गई है। चूँकि भूमि का वह हिस्सा जिस पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, याचिकाकर्ताओं का है और उसे उनके द्वारा सरेंडर कर दिया गया है, इसलिए यदि यू. आई. टी. द्वारा 16.05.2023 पर पारित आदेश के खिलाफ विद्वत निचली अदालत द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो इसका याचिकाकर्ताओं पर असर पड़ेगा और उनके अधिकार प्रभावित होंगे और इस प्रकार इस अदालत की विनम्र राय में, याचिकाकर्ता निजी

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा की गई मुकदमा कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्ष हैं। अन्यथा भी, इस न्यायालय की यह राय है कि याचिकाकर्ताओं को वाद की कार्यवाही में पक्षकार उत्तरदाताओं के रूप में शामिल करने से निजी उत्तरदाताओं के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, उनका कोई असर नहीं है और वे वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट रूप से अलग हैं।

11. ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका स्वीकृति के योग्य है और इसकी अनुमति है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 12.09.2023 आदेश को रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत दिए गए आवेदन की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं को निजी उत्तरदाताओं द्वारा शुरू की गई वाद कार्यवाही में पक्षकार उत्तरदाताओं के रूप में प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 15268/2023:-

पक्षों के विद्वान वकील इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान मामले में शामिल विवाद एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15277/2023 (सुख राम डिडेल और अन्य बनाम नरपत सिंह और अन्य) में इस न्यायालय द्वारा पारित सम तिथि के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को भी उसी शर्तों में अनुमति दी गई है जैसे सुख राम डिडेल (उपरोक्त) के मामले में दी गई थी।

(विनीत कुमार माथुर), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।